

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

विकास कुमार

बनाम

सरकार

किस्म मुकद्दमा

136 LRAct

नं.

5/21

सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/1/21	<p>प्राथमिकी विकास कुमार फिल व गरीब शहर निवासी अबिलखी द्वारा प्रस्तुत प्राप्पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत प्राथमिकी द्वारा चाही गई भूमि में सुद्धि किये जाने से अन्य खेतदारों की भूमि प्रभावित होती है एवं प्राथमिकी द्वारा चाही गई भूमि वर्तमान में राजस्व रेकार्ड अनुसार चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड में है। भू. प्रबन्ध एवं सेग्रीगेशन के दौरान कोई सुद्धि नहीं हुई है। भू. अ. वि. / स. ए. म. ध. की प्रावधानों अनुसार प्राथमिकी द्वारा चाही गई भूमि-चारागाह रेकार्ड दर्ज क्षेत्रों में स्थित जाना सम्भव नहीं है।</p> <p>अतः प्रस्तुत प्राप्पत्र राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकृत योग्य नहीं पाये जाने के खारिज किया जाता है। पञ्चवती फौजदार सुभार होकर नम्बर के अन्तर्गत</p>	

उपरोक्त अधिकारी
 वहीसादही वि. विसीइए